मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्यादित

प्रधान कार्यालय, न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म0प्र0)

कार्यालय दूरभाष कं 0755–2674738

वाहन की पुरानी सामग्री विकय सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के वाहनों की पुरानी सामग्री "जहॉ हैं, जैसी हैं" की स्थिति में बंद निविदा प्रकिया से विकय किया जाना है । सामग्री का अवलोकन बैंक मुख्यालय, टी.टी. नगर भोपाल में दिनांक 06.01.2021 से 14.01.2021 तक कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों को छोड़कर) में किया जा सकता है । नियम एवं शर्ते बैंक की वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक * भोपाल * मुख्यालय

म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, टी0टी0 नगर, भोपाल

वाहन की पुरानी सामग्री विक्रय हेतु नीलामी की नियम व शर्ते

1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के वाहन की पुरानी सामग्री ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में बंद नीलामी से विक्रय किया जाना है ।

2. वाहनो की पुरानी सामग्री के विक्रय हेतु बंद नीलामी समिति के समक्ष दिनांक **15/01/2021** को बैंक मुख्यालय में पूर्वान्ह 1.00 बजे की जावेगी।

3. इच्छुक पार्टी/व्यक्ति को सामग्री की नीलामी प्रकिया में भाग लेने के लिये धरोहर राशि रु 10000.00 देय होगी एवं बैंक ड्राफ्ट जो प्रभारी प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के नाम से भोपाल पर देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये दिनांक **14/01/2021** को दोपहर 04.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है ।

4. वाहनों की पुरानी सामग्री क्रय हेतु उच्चतम निविदित राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का पृथक से भुगतान किया जाना होगा।

5. सामग्री विक्रय की ऑफर राशि स्वीकृत होने की दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि ही समायोजित की जावेगी एवं अन्य बोलीकर्ताओ की धरोहर राशि का डीडी वापिस कर दिया जावेगा । बैंक द्वारा वापिस किये गये किसी भी डीडी का समायोजन सफलबोलीकर्ता के पक्ष में नही किया जावेगा। आफर की गई राशि के साथ समस्त शासकीय करों व उपकरों का भुगतान चयनित बोलीकर्ता को किया जाना होगा ।

6. सामग्री विक्रय का ऑफर स्वीकृत होने पर, सामग्री विक्रय की एकमुश्त राशि सात कार्य दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं सामग्री ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में उक्त स्थान से उठाना होगा अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जाकर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को आफर की गई राशि पर सामग्री विक्रय किया जावेगा । अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जाकर पुनः नीलामी की प्रकिया की जावेगी ।

7. विक्रय योग्य सामग्री म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक(अवकाश के दिवसों को छोड़कर) देखी जा सकती है।

8. बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने या तिथि परिवर्तन करने का अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित'' को होगा ।

9. अधिकतम ऑफर की राशि को मान्य करने अथवा अमान्य करने संबंधी अंतिम निर्णय का अधिकार बैंक के प्रभारी प्रबंध संचालक को होगा ।

10 सफल निविदाकर्ता (क्रेता) के द्वारा बैक मे पूर्ण राशि जमा करने के बाद 15 दिवस के अंदर सामग्री को बैक परिसर से ले जाना/उठवाना अनिवार्य होगा ।

11 उक्त सामग्री को बैक अधिकारियों की टीम के समक्ष उठवाना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में सामग्री नही उठाने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।

12 सामग्री को उठवाने पर होने वाले समस्त व्यय जैसे परिवहन व्यय , हमाली व्यय एवं अन्य समस्त व्यय का भुगतान सफल बोलीकर्ता (क्रेता)द्वारा वहन किया जाना होगा ।

13 सफल बोलीकर्ता (क्रेता) अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही सामग्री को उठवा सकता है ।

14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का क्षेत्र माननीय पंजीयक सहकारी संस्थायें न्यायालय, भोपाल मध्यप्रदेश रहेगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित